न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3470–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 21.4.2003 पारित -- व्दारा -- कलेक्टर, जिला पन्ना – प्रकरण कमांक 51/2001–02 स्व0निगरानी

श्रीमति गौरीवाई पुत्री वृन्दावन राजपूत
निवासी ग्राम मझगवां सरकार तहसील
गुनौर जिला पन्ना मध्य प्रदेश ----आवेदिका

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

आवेदिका के अभिभाषक श्री राजेन्द्र खरे
म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक श्री राजीव गौतम

आदेश

(आज दिनांक 21.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्र0क0 51/2001–02 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–4–2003 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जो आगे संहिता अंकित है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने पत्र दिनांक 25–9–96 भेजकर तहसीलदार गुनोर को निर्देश दिये कि नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज के प्रकरण कमांक 56/अ19/95–96 में आदेश दिनांक 25–9–96 से ग्राम ककरा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 466 रकबा 1.51 हैक्टर, 726 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के व्यवस्थापन की जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। तहसीलदार गुनोर ने तदाशय की जांच कर प्रतिवेदन दिनाक 01–02–1997 अनुविभागीय अधिकारी गुनौर को प्रेषित किया,

जिसे अनुविभागीय अधिकारी गुनौर ने टीप दिनांक 11--6--2002 से कलेक्टर पन्ना को प्रेषित किया। कलेक्टर पन्ना ने जांच प्रतिवेदनों के आधार पर आवेदिका के विरूद्व प्रकरण कमांक 51/अ19/2001--02 पंजीबद्व किया तथा पेशी दिनांक 22--10--2002 नियत कर आवेदिका की सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। सूचना उपरांत आवेदिका अनुपस्थित रही, जिसके कारण कलेक्टर पन्ना ने अंतरिम आदेश दिनांक 26--11--2002 से एकपक्षीय कार्यवाही की तथा अन्य आपत्तिकर्ताओं एंव अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 21--4--2003 पारित किया तथा नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज के प्रकरण कमांक 56/अ19/95--96 में आदेश दिनांक 25--9--96 से वादग्रस्त भूमि का किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर दिनांक 6--9--12 को यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं के कम में आवेदिका अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की है अनावेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों, लेखी बहस के तथ्यों पर तथा अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 21--4--2003 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी 6--9--12 को अर्थात लगभग 9 वर्ष 8 माह से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण में आवेदिका को जारी कारण बताओ नोटिस पेशी दिनांक 22--20--02 की उपस्थिति का संलग्न है जिसके जिसके पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा ने अंकित किया है कि गोरीवाई (आवेदिका) ग्राम मझगुवां सरकार मे नही है इसलिये नोटिस चस्पा करके तामील की . किन्तु सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर अंतरिम आदेश दिनांक 26--11--02 से आवेदिका के विरूद्व एकपक्षीय

कार्यवाही की गई है, जिसके कारण न्यायदान हेतु निगरानी प्रस्तुत करने मे हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है ।

5/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदिका के हित मे 2-10-1984 के पूर्व से ग्राम ककरा की शासकीय भूमि सर्वे कमाक 466 रकबा 1.51 हैक्टर, 726 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 हैक्टर का व्यवस्थापन किया गया है, किन्तु नायव तहसीलदार ने व्यवस्थान प्रकरण में केवल 1995-96 के कब्जे का आधार लेकर व्यवस्थापन किया है अर्थात 2-10-84 से आवेदिका का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है, जबकि आवेदिका का पति वर्ष 1991 में हलका नंबर 9 पर पटवारी पदस्थ रहा है जिसका नाम रूपसिंह राजपूत है जो ग्राम मझगवां का मूल निवासी है। इस प्रकार इस पटवारी ने अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ककरा की वादग्रस्त आराजी पर पद का दुर्पोयोग करते हुये अपनी पत्नि के नाम का फर्जी कब्जा दर्ज करते हुये फर्जी व्यवस्थापन रिपोर्ट लगाकर अपनी पत्नि आवेदिका गेंदावाई पिता वृन्दावन राजपूत लिखते हुये अवैध व्यवस्थापन कराया है जिसके कारण कलेक्टर पन्ना ने वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

6/ तहसीलदार गुनौर के प्रतिवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि श्रीमति गौरीवाई पत्नि रूपसिंह पटवारी के बजाय पटवारी व्दारा उसे पुत्री वृन्दावन राजपूत लिखवाते हुये वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन कराया है और आवेदिका श्रीमती गौरीवाई को भूमिहीन होना बताया है जबकि उसके परिवार में कुल किता 37 कुल रकबा 22.13 हैक्टर भूमि दो ग्रामों में पूर्व से धारित है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन नियम विरूद्व है।

7/ तहसीलदार गुनौर व्दारा जब नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज के प्रकरण कमांक 56/अ19/95-96 का बारीकी से परीक्षण किया गया, पाया

गया है कि मद अ 19 में दायरा पंजी दिनांक 12–7–96 में प्रकरण दर्ज किया गया है किन्तु नायव तहसीलदार अमानगंज के मासिक पत्रक माह 7/1996 में मद अ–19 में कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है और यह मासिक पत्रक नायव तहसलदार व्दारा हस्ताक्षरित किया गया है। राजस्व अधिकारियो व्दारा पेशी हेतु तैयार वाद सूची वर्ष 1996 में इस प्रकरण की तारीख पेशीयों का अंकन नहीं है। नायव तहसीलदार ने समस्त कार्यवाही नियमों से हटकर करते हुये व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25–9–95 पारित किया है, जिसमें निर्धारित बाजारू मूल्य के बराबर प्रीमियम राशि तक आवेदिका से नहीं ली गई । स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार व्दारा की गई व्यवस्थापन कार्यवाही नियम एंव प्रकिया के विरूद्व है जिसके कारण कलेक्टर पन्ना आदेश दिनांक 21–4–03 से नायव तहसीलदार व्दारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25–9–95 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 51/2001–02 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–4–03 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर